

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

कौशल्या देवी दा-गोलावली

बनाम

खुमार

किस्म मुकदमा

दुरुस्ती

मुकदमा नं.

46

10-518

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/5/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/ <u>89</u> दिनांक <u>10/5/18</u> के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>43PS</u> में प्रार्थीगण के नाम चक <u>41PS</u> की जमाबन्दी सम्बत <u>2070-73</u> के खाता नं. <u>94</u> ... में खातेदार <u>कौशल्या देवी दा-गोलावली</u> अंकित है। जिसका नाम <u>कौशल्या देवी दा-गोलावली</u> है। जिसकी <u>कौशल्या देवी दा-गोलावली</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशांषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक <u>10/5/18</u> की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाकै चक <u>41PS</u> <u>कौशल्या देवी दा-गोलावली</u> के खाता नं. <u>94</u> में दर्ज खातेदार <u>कौशल्या देवी दा-गोलावली</u> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उपजिला कलक्टर

रायसिंहनगर-2018

कैम्प कोर्ट 43PS

सप्लेण्डेण्टीकारी (राजस्व) रायसिंहनगर